

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2019/भाद्र 29, 1941	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 212
No. 242]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2019/BHADRA 29, 1941	[N.C.T.D. No. 212

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधान सभा

अधिसूचना

दिल्ली, 19 सितम्बर, 2019

सं. 25(67)/2019/वि.स.स—VI/विधायी/4257.—माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा के निर्णय दिनांक 19.09.2019 के अनुपालन में छठी विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य को, भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(ए) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(2), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम, 1991 की धारा 16 और दिल्ली विधान सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1996 के नियम 8 के अंतर्गत, दिल्ली विधान सभा के सदस्य होने से अयोग्य ठहराया है।

सदस्य का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या व नाम
सुश्री अलका लाम्बा	20 (चाँदनी चौक)

तदनुसार, सुश्री अलका लाम्बा की सदस्यता 06 सितम्बर, 2019 से दिल्ली विधान सभा से समाप्त कर दी गई है।

इसके परिणाम स्वरूप, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र—20 (चाँदनी चौक) की सीट खाली हो गई है और सदन में एक सीट रिक्त हो गई है।

सी. वेलमुरुगन, सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY**NOTIFICATION**

Delhi, the 19th September, 2019

No. 25(67)/2019/LAS-VI/Leg./4257.—In pursuance of Hon'ble Speaker, Legislative Assembly of NCT of Delhi's decision dated 19.09.2019, the following Member of the Sixth Legislative Assembly of NCT of Delhi has incurred disqualification from being a Member of Delhi Legislative Assembly in terms of Paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India read with Article 191(2) of the Constitution of India, Section 16 of Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 and Rule 8 of The Members of Delhi Legislative Assembly (Disqualification on Grounds of Defection) Rules, 1996.

NAME OF THE MEMBER	NUMBER & NAME OF THE ASSEMBLY CONSTITUENCY
Ms. Alka Lamba	20- Chandni Chowk

Accordingly, Ms. Alka Lamba ceases to be a Member of the Delhi Legislative Assembly with effect from 06th September, 2019.

Consequent upon this, the seat of Assembly Constituency – 20 (Chandni Chowk) has fallen vacant and a vacancy has occurred in the House.

C. VELMURUGAN, Secy.